न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु. नं. 10/2025 राजस्व अपील उनवान मुरारीलाल पुत्र गैंदा मीना निवासी जगरामपुरा पट्टी तहसील बहरावण्डा बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.8.2018 में अपीलांट मुरारी पुत्र गैंदा मीना द्वारा खसरा नम्बर 119/6 रकबा 0.85 है0 चरागाह भूमि में से 0.06 है0 भूमि पर पाटोल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जबकि उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा मु.नं. 256/018 में पारित निर्णय दिनांक 29.8.2018 में मुरारी पुत्र गैंदा मीना निवासी जगरामपुरा पट्टी द्वारा काश्त कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत भी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.8.2018 को निरस्त फरमावें। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 119/6 रकबा 0.85 है0 में से 0.06 है0 भूमि पर पाटोल बनाकर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार बवरावण्डा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को नोटिस दिया जाकर विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.8.2018 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट मुरारीलाल पुत्र गैंदा मीना द्वारा खसरा नम्बर 119/6 रकबा 0.85 है0 चरागाह भूमि में 0.06 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा निर्णय दिनांक 29.8.2018 पारित किया गया है। अपीलांट को इस न्यायालय में बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत कोई दस्तावेज/शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा 256/018 उनवान सरकार बनाम मुरारी में पारित निर्णय दिनांक 29.8.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। 7/1/2026 (अरविन्द शर्मा) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

Scanned with OKEN Scanner